



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271491
CG-DL-E-01042026-271491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 96]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

विषय: परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट [RoSCTL] योजना का विस्तार।

1. फा. सं. 12015/12/2026 -टीटीपी (पार्ट 1).—परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (ROSCTL) योजना के संबंध में इस मंत्रालय की पिछली अधिसूचनाओं के क्रम में, और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 23.03.2026 के कार्यालय ज्ञापनों (ओ.एम.) में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, ROSCTL योजना को एतद्वारा योजना के दिशा-निर्देशों में बिना किसी बदलाव के, 31.03.2026 से बढ़ाकर 30.09.2026 तक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए योजना के अनुमोदन की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।
2. योजना का यह विस्तार उसी दायरे, संरचना, प्रकृति, कवरेज, लागत मानदंडों और अन्य नियमों एवं शर्तों के साथ जारी रहेगा जो 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू थे, और यह आगे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 23.03.2026 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।
3. छूट का लाभ, यथा-लागू, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप/ई-स्क्रिप की मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किया जाना जारी रहेगा। योजना के तहत अधिसूचित सभी मदों के लिए प्रचलित दरें और सीमा (कैप) तब तक वही रहेंगी जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न किया जाए। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने हेतु एंड-टू-एंड

डिजिटलीकरण के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसे सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रणाली में एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रखा जाएगा। RoSCTL योजना के तहत झूटी क्रेडिट स्क्रिप, निर्यात आय की प्राप्ति (realization of export proceeds) की अनिवार्यता के बिना जारी की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत व्यय आवंटन राशि से अधिक न हो, योजना के तहत व्यय और देनदारी की त्रैमासिक आधार पर एक समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता व्यय विभाग (DOE) द्वारा की जाएगी और इसमें राजस्व विभाग (DOR), वाणिज्य विभाग (DOC) और वस्त्र मंत्रालय (MOT) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। व्यय को निर्धारित आवंटन के भीतर रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

5. सरकार संबंधित अंतर्निहित स्थितियों में बदलाव के आलोक में दरों और सीमाओं (कैप) को उचित रूप से समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हालाँकि, ROSCTL के तहत पात्रता मानदंड अपरिवर्तित रहेंगे।

6. इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12015/11/2020-TTP दिनांक 13.08.2021 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश RoSCTL योजना को जारी रखने और कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रहेंगे।

यह अधिसूचना दिनांक अप्रैल 12026 से प्रभावी होगी।

अखिलेश कुमार, उप महानिदेशक

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

Subject: Extension of Rebate of State and Central Taxes and Levies Scheme on Export of Apparel/ Garment and Made-ups (RoSCTL)

1. **F.No.12015/12/2026-TTP(Pt.1)**—In continuation of this Ministry's earlier notifications regarding the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) Scheme on export of apparel/garments and made-ups, and in pursuance of instructions of the Department of Expenditure, Ministry of Finance vide O.Ms. dated 23.03.2026, the RoSCTL Scheme is hereby extended up to 30.09.2026 from 31.03.2026 or till the date of approval of the Scheme for the 16th Finance Commission cycle by the competent authority, whichever is earlier, without any change in the Scheme guidelines.
2. This extension of the Scheme shall continue with the same scope, structure, nature, coverage, cost norms, and other terms and conditions as were applicable during the 15th Finance Commission period, and shall further be subject to the conditions stipulated in the aforesaid O.M. dated 23.03.2026 issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.
3. The rebate shall continue to be provided through the existing mechanism of duty credit scrips/e-scrip, as applicable. The prevailing rates and cap for all items as notified under the Scheme shall remain unchanged unless notified otherwise. The Scheme shall be implemented by Department of Revenue with end to end digitization for issuance of transferable Duty Credit Scrip, which will be maintained in an electronic ledger in the Customs system. Duty Credit Scrip under RoSCTL Scheme shall be issued without insisting on realization of export proceeds.
4. To ensure that the expenditure under the Scheme does not exceed the allocation amount, the expenditure and liability under the Scheme shall be reviewed on quarterly basis by a Committee headed by Department of Expenditure (DoE) and consisting of Department of Revenue (DoR), Department of Commerce (DoC) and Ministry of Textiles (MoT) and measures as necessary, shall be taken to keep the expenditure within the prescribed allocation.
5. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions. However, eligibility criteria under RoSCTL shall remain unchanged.
6. The guidelines issued vide this Ministry's notification No. 12015/11/2020-TTP dated 13.08.2021 would continue for continuation and implementation of the RoSCTL scheme.

This notification shall come into force with effect from 1st April, 2026.

AKHILESH KUMAR, Dy Director General